



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

अग्रहायण 18, सोमवार, शाके 1941-दिसम्बर 9, 2019
Agrahayana 18, Monday, Saka 1941-December 9, 2019

भाग 6 (ग)

ग्राम पंचायत संबंधी विज्ञप्तियां आदि।
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 9, 2019

संख्या एफ.15(104)पंरावि/विधि/आरक्षण/2019/3137:- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 के अधिनियम संख्या-13) की धारा-98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2020 के लिए राज्य सरकार एतद् द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायत समितियों व जिला परिषद के वार्डों (एकल निर्वाचन क्षेत्रों) के आरक्षण तथा प्रधानों के आरक्षण का निर्धारण कर श्रेणीवार आवंटन करने के लिए तथा समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली पंचायतों के वार्डों (एकल निर्वाचन क्षेत्रों) के आरक्षण तथा सरपंचों के आरक्षण का निर्धारण कर श्रेणीवार आवंटन करने के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-15 व 16 तथा पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम, 5, 6, 7, 8 व 9 की शक्तियां सम्बन्धित जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को प्रत्यायोजित करती है।

आज्ञा से,
राजेश्वर सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

1189

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।